

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 3 दमपुरवादी,
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिब शपथ पत्र

कैंक पास बुद्ध, आधार कार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम किशोरीलाल पुत्र जवाहरराम दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड एनार न-80 में किशोर पुत्र जवाहरराम दर्ज है। मुलाबिब शपथ आवेदनक दस्तावेजों के राजस्व रिकॉर्ड में भी किशोरीलाल पुत्र जवाहरराम दर्ज किया गया न्योउचित ही अतः डिफेक्ट उचित आदेश प्रोमान की हेतु से देय है।
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / ~~नहीं~~ की जाती है।

~~उचित~~ ~~किना~~ ~~जाना~~
~~उचित~~

~~16/12/21~~
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	3 दमपुरवादी	2075-78	80	किशोर पुत्र जवाहरराम	किशोरीलाल पुत्र जवाहरराम

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

16/12/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 16/12/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 2386

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचित

16/12/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी